

न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम गिराज, लक्ष्मण पुत्रान गंगाधर जाति गुर्जर नि.हरियाणा तहसील लवाण

मिसल न. 08/2023

निर्णय दिनांक-23.08.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लवाण ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत की की अतिक्रमी गिराज, लक्ष्मण पुत्रान गंगाधर जाति गुर्जर निवासी हरियाणा तहसील लवाण ने ग्राम लवाण के आराजी खसरा न.5123 किस्म चारागाह रकबा 0.05 है० व खसरा नंबर 5124 किस्म चारागाह रकबा 0.18 है० भूमि पर संवत् 2080 फसल वर्ष खरीफ मे कुल रकबा 0.23 है० पर तारबंदी लगाकर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी गिराज स्वयं उपस्थित हुआ एवं अतिक्रमी लक्ष्मण बाद तामील अनुपस्थित । अतिक्रमी लक्ष्मण के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल मे लायी जाती है । अतिक्रमी ने अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमियों का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर अतिक्रमण कर तारबंदी से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 1.95 रु. का 50 गुना 97.5 रु. अर्थात 98 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक लवाण एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल लवाण को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 23.08.2023 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।



(राजिन्द्र मोहन)
तहसीलदार लवाण
तहसीलदार लवाण
जिला दौसा (राज.)
जिला दौसा(राज.)